



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन गांधी चौक, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-212313, 214204 फैक्स 07752-260294 ई-मेल : bilaspur.university2012@gmail.com

Website : www.bilaspuruniversity.ac.in

क. 611/स्था.प्रशा./2014

बिलासपुर, दिनांक 28/7/2014

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- निःशक्तजन छात्रवृत्ति का लाभ निःशक्त छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराने बाबत।

- संदर्भ:- 01. छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक /स.क./200-07/
एफ- 113/826, रायपुर, दिनांक 20.04.2006 ।
02. उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला मुंगेली का पत्र क्रमांक 445/स.
क/निःशक्त. क. /2014, मुंगेली दिनांक 16.07.2014

—0—

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत उप संचालक समाज कल्याण विभाग, जिला मुंगेली के पत्र द्वारा छ.ग.शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्त छात्रवृत्ति परिशिष्ट-01 एवं निःशक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त संबंध में निःशक्त विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कार्यालय समाज कल्याण को प्रेषित करें।

कुलसचिव

बिलासपुर विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ० क. 612/स्था.प्रशा./2014

बिलासपुर, दिनांक 28/7/2014

प्रतिलिपि:- 01. उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला-मुंगेली छ.ग. को सूचनार्थ।

कुलसचिव

कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

Phone/Fax No: 07755-264124

E-Mail: dpsw.mungeli@gmail.com

क्रमांक/स.क./नि:शक्त.क./2014/445

मुंगेली, दिनांक-16.07.2014

प्रति,

01. कुलपति,
गुरुघासीदास केन्द्रीय वि.वि.बिलासपुर
02. कुलपति,
बिलासपुर वि.वि.बिलासपुर
03. जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-मुंगेली

विषय :-

नि:शक्तजन छात्रवृत्ति का लाभ नि:शक्त छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग का पत्र क्र./स.क./2006-07/एफ-113/826, रायपुर दिनांक-20.04.2006.

—:00:—

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नि:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। विभिन्न स्तर पर निर्धारित छात्रवृत्ति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक में दी गई है।

शहरी क्षेत्र में स्थित शालाओं/महाविद्यालयों के प्राचार्य नि:शक्त व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे और उन्हें स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा के साथ जिला-कार्यालय समाज कल्याण को प्रेषित करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शालाओं/महाविद्यालयों में अध्ययनरत नि:शक्त विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य प्राप्त करेंगे और उन्हें अपने अभिमत के साथ संबंधित जनपद पंचायत को भेजेंगे। संबंधित जनपद पंचायत प्राचार्य की अनुशंसा प्राप्त होने पर पात्र प्रकरणों में स्वीकृति आदेश जारी करेगी।

अतः आप अपने स्तर से नि:शक्त छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति का लाभ दिये जाने हेतु शालाओं/महाविद्यालयों के प्रधान पाठक/प्राचार्य को निर्देशित करने की कष्ट करें।




उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/स.क./नि:शक्त.क./2014/

मुंगेली, दिनांक-16.07.2014

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-मुंगेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-मुंगेली, लोरमी, पथरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

परिशिष्ट - 1

निःशक्त छात्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ/685/सक/1/2004-2005/26 दिनांक 02.04.2005 द्वारा राज्य छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन कर निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 5 तक	रुपये 50/-- प्रतिमाह
पूर्व माध्यमिक स्तर, कक्षा 6 से 8 तक	रुपये 60/-- प्रतिमाह
माध्य. व उच्चतर माध्यमिक स्तर, कक्षा 9 से 12 तक	रुपये 70/-- प्रतिमाह

(ख) पूर्व केन्द्रीय निःशक्त छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों के लिये :-

विवरण	दैनिक छात्र	छात्रावासी	दृष्टि बाधितों के लिये वाचक भत्ता
कक्षा 9 वीं से 10, 12 एवं आई.टी.आई.	रुपये 85/--	रुपये 140/--	रुपये 50/--
बी. ए., बी. काम. बी.एस.सी.	रुपये 125/--	रुपये 180/--	रुपये 75/--
स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक परिक्षाएं	रुपये 170/--	रुपये 240/--	रुपये 100/--

अस्थि निःशक्त छात्र/छात्राओं को आर्थोर्टिक, प्रोस्थेटिक संसाधन यदि वे उपयोग में ला रहे हैं तो उनके संधारण हेतु रुपये 25/-- (रुपये पच्चीस मात्र) प्रतिमाह विकित्साक की अनुशंसा के आधार पर दिया जाये।

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/स.क./2003/1371 दिनांक 01.10.2003 द्वारा छात्रवृत्ति ऐसे निःशक्त छात्रों को दी जाती है जिसके अभिभावकों की मासिक आय रुपये 8000/-- (रुपये आठ हजार मात्र) से अधिक न हो तथा जो गत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों किन्तु पूर्व केन्द्रीय निःशक्त छात्रवृत्ति केवल ऐसे छात्रों को स्वीकृत की जाती है जिन्होंने गत परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

उप-संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर

निःशक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

(उम्मीदवार स्वयं भरें)

नवीन/नवीनीकरण

- किस प्रकार की निःशक्तता है : दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/अस्थि बाधित/मानसिक
2. पूरा नाम(साफ अक्षरों में) :
3. डाक का पूरा पता जिस पर आदि पत्र भेजे जा सकें :
4. क) क्या आप भारतीय नागरिक हैं :
ख) आप किस जिले व राज्य के हैं :
ग) क्या आप अनुसूचित जाति/ आदिमजाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ सामान्य जाति के हैं। :
5. जन्मतिथि (ईसवी सन् में) :
6. पिता/संरक्षक का नाम और पता व संरक्षक का आवेदक से संबंध
(क) पिता संरक्षक का नाम :
(ख) व्यवसाय :
(ग) स्थाई पता/ फोन नं. :
(घ) संरक्षक से संबंध :
7. माता/पिता संरक्षक की कुल आय :
8. क्या आप आय अर्जित कर रहे हैं। : हाँ/नहीं, यदि हां तो कृपया बतायें।
(क) आय का स्रोत :
(ख) मासिक आय :
(ग) परिक्षाये जो उत्तीर्ण की हो।(मिडिल/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी या उसकी समकक्ष परीक्षा से लेकर)

क्र.	परीक्षा का नाम	वर्ष	विषय	संस्था का नाम	बोर्ड / वि.वि
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

- परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत/संगीत :
- परीक्षा में दी गई हो तो श्रेणी में बतायें क्या आपको इस योजना के अंतर्गत पहले भी छात्रवृत्ति मिली है यदि हां तो ब्यौरा दें ।
- (क) पाठ्यक्रम कक्षा का नाम :
- (ख) छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अवधि :
- (ग) मंजूरी संदर्भ संख्या :
10. क्या आपने प्रौढ़, अंध बधिर प्रशिक्षण केन्द्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था के किसी प्रशिक्षण में भाग लिया है ?
- (क) किस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति चाहिए :
- (ख) पाठ्यक्रम समाप्त होने की अनुमानित तारीख :
- (ग) अध्ययनरत् संस्था का नाम :
- (घ) चालू शिक्षा सत्र में पाठ्यक्रम में वर्तमान :
- कक्षा में जाने की तारीख
11. दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के लिए (कक्षा 9 व उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए) क्या आपने कोई पढ़ाने वाला शिक्षक लगाया यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरा दें -
- (क) प्रतिमाह कितनी रकम उसे देते है ? :
- (ख) उसे लगाने की तारीख व प्रमाण पत्र :
12. आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले प्रमाण पत्र :

मैं प्रमाणित करता हूँ

1. यदि मुझे उपर्युक्त योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान शिक्षा शुल्क की माफी के अलावा मैं किसी अन्य स्थान में किसी भी रूप में कोई परिलब्धि, छात्रवृत्ति या अन्य कोई लोन वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं किया ।

अथवा

मुझे तारीख को रुपये की सहायता मिल रही है यदि मुझे छात्रवृत्ति दे दी जाती है तो मैं छात्रवृत्ति मिलने के महीने से उक्त सहायता की रकम देने वाले स्रोत को लौटा दूंगा और छात्रवृत्ति अवधि के दौरान फीस को छोड़कर किसी भी रूप में अन्य कोई वित्तीय सहायता, परिलब्धि छात्रवृत्ति/वृत्तिया नहीं लूंगा ।

2. जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है आवेदन पत्र में दी गई बात सही और मैंने किसी ऐसी जानकारी को नहीं छिपाया है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अल्प वयस्क उम्मीदवार के मामले में
संरक्षक के प्रति हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री द्वारा आवेदन में दी समस्त जानकारी मेरे विश्वास एवं जानकारी अनुसार सही है । श्री संस्था की में अध्ययनरत है । इनकी प्रगति संतोषप्रद है मैं इन्हें नियमानुसार वृत्ति प्रदान करने की अनुशंसा करता हूँ ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित